



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 5, 1997 (चैत्र 15, 1919)

No. 14]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 5, 1997 (CHAITRA 15, 1919)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[संनिविष्ट सूचनाएँ द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएँ जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएँ सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

मुम्बई, दिनांक 14 फरवरी 1997

क्रमांक सीडीओ : एडीएम : एसपीएल : 7596—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के खंड 50 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड ने, भारतीय रिजर्व बैंक से विचार विमर्श करने के पश्चात् और केन्द्र सरकार की पूर्व संस्वीकृति आधार पर इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया कर्मचारी पेंशन एवं गारण्टी निधि नियम और विनियम में आगे संशोधन हेतु एहद्वारा निम्नलिखित नियम बनाए हैं, अर्थात् :—

(1) लघु शीर्षक एवं प्रारम्भ

इन नियमों को इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया कर्मचारी पेंशन एवं गारण्टी निधि (संशोधित) नियम, 1997 कहा जाए।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया कर्मचारी पेंशन एवं गारण्टी निधि नियम और विनियम (इसके बाव इन्हें मुख्य नियम कहा जाएगा) के नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :

‘16. यहाँ जो प्रावधान किया गया है उसे छोड़कर, 1-11-1993 से भारत में संघर्ष किसी कर्मचारी/सदस्य को निधि में सदस्यता प्राप्त करने की तिथि से बैंक की सेवा में सेवानिवृत्त होने की तिथि तक की सेवा अवधि गणना पेंशन के लिए की जाएगी। इंग्लैंड में पेंशन के लिए सेवा की गणना आज पर ध्यान दिए बिना सेवानिवृत्त से प्रथम नियुक्ति से की जाएगी।’

3. (क) मुख्य नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) को खंड (क) में निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

‘परन्तु यह, 1-11-1993 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हुए/होने वाले सदस्यों के लिए ऊँचल भारतीय कर्मचारी उपभोक्ता मध्य मञ्चकांक (सामान्य) आधार 1960=100 निमावी औसत के 1148 बिंदुओं तक मूल वेतन पर संशुद्धि भत्ते का समायोजन करने के बाव पेंशन

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 1997

सं. रा. स. वि. नि. : ए एण्ड सी : 8-13/83-सी पी एक
—राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कर्मचारी भविष्य निधि
विनियमावली, 1964 के विनियम-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, केन्द्रीय
सरकार की पूर्वस्वीकृति से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कर्म-
चारी भविष्य निधि विनियमावली, 1964 में एतद्वारा
निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :

1. विनियम-18 (1) (क) के अधीन खण्ड-7 तथा
विनियम 19-क (1) के अधीन खण्ड-5 की तरह
निम्नलिखित को सम्मिलित करना :—

टी. बी., बी. सी. आर./बी. सी. पी., वाशिंग
मशीन, कूकण रेंज, गीजर, कम्प्यूटर आदि जैसे
उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के व्ययों की पूर्ति
करना।

2. विनियम 19-क (1) के अधीन वर्तमान प्रावधान हों
निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करना :—

बसते कि (1) इस विनियम के अधीन तब तक
कोई भी आहरण स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक
अंशदाता ने (क) खण्ड-4 के अधीन आहरण के
मामले में 10 वर्ष की सेवा अथवा खण्ड (1), (2),
(3) तथा (5) के अधीन आहरण के मामले में 15
वर्षों की सेवा (ख) अथवा 45 वर्ष की आयु
प्राप्त न की हो, इनमें से जो भी पहले हो।
(2) आहरण की राशि सामान्य रूप में अंशदाता के
छः माह के वेतन से अधिक नहीं होगी अथवा
अंशदाता के खाने के शेष में निहित छूट प्राप्त ब्याज
और छूट प्राप्त अंशदान की 75% राशि तक होसी।
इनमें से जो भी कम हो। तथापि इस सीमा में
न्यासी-समिति द्वारा छूट दी जा सकती है।
(3) उपर्युक्त खण्ड (4) में विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु
आहरण आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा,
अर्थात् :—

रा. स. वि. नि., इ. पी. एक, विनियमा-
वली के प्रावधानों को भारत सरकार की सामान्य
भविष्य निधि (जी. पी. एफ.) के प्रावधानों
के समन्वय लाने हेतु उक्त संशोधन प्रस्तावित
है। ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

जे. पी. सिंह
प्रबन्ध निदेशक

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

नई दिल्ली-110 002, दिनांक 6 फरवरी 1997

सं. एफ. 28-2/96 एन. सी. टी. इ. —खण्ड 32 के
उपखण्ड 2 की धारा (ण) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, जिसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993
के खण्ड 20 के उप-खण्ड (7) के साथ पढ़ा जाय, राष्ट्रीय अध्यापक
शिक्षा परिषद द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए गए हैं,
यथा :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

इन विनियमों का नाम “राष्ट्रीय अध्यापक, शिक्षा
परिषद” (क्षेत्रीय समिति में सदस्यों के आकस्मिक
रिक्त स्थानों को भरने की विधि) विनियम, 1996
है। ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की
तारीख से लागू माने जाएंगे।

2. परिभाषा

संदर्भ के अनुसार जब तक कोई अन्यथा अर्थ न हो
इन विनियमों में :—

(1) “अधिनियम” का अर्थ है राष्ट्रीय अध्यापक
शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 (1993 की
संख्या 73)।

(2) अन्य सभी शब्दों के वही अर्थ होंगे जो इस अधि-
नियम के खण्ड में निहित अर्थ हैं।

3. किस पर लागू रहेंगे

ये विनियम इस अधिनियम के खण्ड 20 के उप खण्ड
की धारा (क) तथा (ग) के अंतर्गत क्षेत्रीय समिति
में नामजद सदस्य की मृत्यु, उसके त्यागपत्र अथवा
बीमारी या किसी अन्य प्रकार की उसकी अक्षमता के
कारण अपने कार्य का निर्वहण न करने के परिणाम-
स्वरूप क्षेत्रीय समिति में हुए सदस्य के रिक्त स्थान
पर लागू होंगे।

किन्तु यदि किसी सदस्य की क्षेत्रीय समिति के
अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हुई है तो शर्त यह भी
है कि यह विनियम उसके रिक्त स्थान पर भी लागू
होगा।

4. आकस्मिक रिक्त स्थान को भरने की विधि
यदि क्षेत्रीय समिति में किसी सदस्य (अध्यक्ष सहित)
का स्थान रिक्त होता है काहे वह उसकी मृत्यु,
उसके त्यागपत्र अथवा क्षेत्रीय समिति के कार्य का
निर्वहण करने की उसकी अक्षमता किसी भी कारण से
हुआ हो तो उस रिक्त स्थान को किसी नए व्यक्ति
की नामजदगी से भरा जाएगा और जिस व्यक्ति को
इस तरह नामजद किया जाएगा वह उस व्यक्ति की
शेष अवधि के लिए उस पद पर रहेगा, जिसके स्थान
पर उसे सदस्य के रूप में नामजद किया गया है।

सुरेन्द्र सिंह
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

सं. एफ. 28-9/96 एन. सी. टी. इ. —खण्ड 32 के
उपखण्ड की धारा (च) तथा (ज) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधि-
नियम, 1993 (1993 की संख्या 17) के खण्ड 14 एवं 15
के साथ पढ़ा जाय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा
निम्नलिखित विनियम बनाए गए हैं, यथा :—

- (7) to formulate guidelines on items/issues to be considered and approved by the Standing Committee on behalf of the Council;
- (8) to recommend the structure of the Council's Secretariat for consideration of the Government;
- (9) to screen all proposals coming within the purview of the Council under section 33 of the Institutes of Technology Act, 1961 (59 of 1961) and make appropriate recommendations to the Council; and
- (10) to consider all items within the jurisdiction of the Council and referred by the various Board of Governors of the individual IITs or the individual Directors of the IITs or other groups within the IITs, such as the Senates and the Faculty Associations or the Council Secretariat for recommendation either to the Chairman of the Council for items within his purview or emergent consideration or to the Council itself at a normal scheduled meeting or for final disposal for items delegated to the Standing Committee.

DR. S. D. AWALE
Secretary, Council of IITs

NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION

New Delhi, the 13th March 1997

No. NCDC : A&C : 8-13/83-CPF.—In exercise of the powers conferred by Regulation 29 of the National Co-operative Development Corporation Employees' Provident Fund Regulations, 1964, National Co-operative Development Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments to the National Co-operative Development Corporation Employees' Provident Fund Regulations, 1964, namely :

1. Insert the following as clause (vii) under regulation 18(1)(a) and as clause (v) under regulation 19-A(1)

To meet expenses on purchase of consumer durable such as TV, VCR/VCP, Washing machine, Cooking range, Geyser, Computer etc.

2. Substitute the following for the existing proviso under Regulation 19-A(1)

Provided that (i) No withdrawal under this Regulation shall be sanctioned unless the subscriber has completed (a) 10 years of service in case of withdrawal under Clause (iv) or 15 years service in case of withdrawal under clauses (i), (ii), (iii) & (v), (b) or has attained the age of 45 years, whichever is earlier, (ii) The amount of withdrawal shall not ordinarily exceed six months' pay of the subscriber or 75% of the exempted contributions and exempted interest contained in the balance to the credit of the subscriber whichever is less. This limit may, however, be relaxed by the Committee of Trustees. (iii) The withdrawal for the purpose specified in clause (iv) above shall be subject to the further conditions ;

The amendment is proposed to bring the provisions of NCDC EPF regulations at par with the provisions of GPF of Government of India.

The amendments shall come into force with immediate effect.

J. P. SINGH
Managing Director

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

New Delhi-110 002, the 6th February 1997

No. F.28-2/96 NCTE.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section 2 of Section 32 read with sub-section (7) of section 20 of NCTE Act, 1993 the National Council for Teacher Education makes the following Regulation namely :

1. Short Title and Commencement

These regulations may be called the "National Council for Teacher Education" (manner of filling casual vacancies among members of Regional Committee) Regulation 1996. They shall come into force from the date of the publication in the Official Gazette.

2. Definition

In these Regulations, unless the content otherwise requires :

- (i) "Act" means the National Council for Teacher Education Act, 1993 (No. 73 of 1993).
- (ii) All other terms shall have the same meaning as contained in Section 2 of the Act.

3. Applicability

These Regulations shall be applicable to a casual vacancy of member of Regional Committee by reason of death, resignation or inability to discharge functions owing to illness or other incapacity by a member nominated to Regional Committee under Clauses (a) and (c) of sub-section 3 of Section 20 of the Act.

Provided, however, this Regulation shall also apply to vacancy as Chairperson of Regional Committee, if such a member has been so appointed.

4. Manner of filling Casual Vacancy

If a Casual Vacancy of a member occurs (including Chairperson) of Regional Committee whether by reason of death, resignation or inability to discharge the functions of Regional Committee, such vacancy shall be filled up by making fresh nomination and the person so nominated shall hold office for the remainder of the term of the office of the person in whose place such person is so nominated.

SURENDRA SINGH
Member Secretary
National Council for Teacher Education

No. F. 28-9/96 NCTE.—In exercise of the powers conferred under sub-clauses (f) and (h) of sub-section 2 of section 32 read with sections 14 and 15 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (No. 17 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations :

1. Short Title and Commencement

These regulations may be called the National Council for Teacher Education (determination of conditions for recognition of institutions offering or intending to offer through correspondence education or distance education including open distance education, or any mode other than face to face instruction for any course leading to B.Ed. degree or its equivalent and permission to start any new course or training) Regulations 1996.

2. Applicability

These regulations shall be applicable to institutions including universities, open universities, constituents thereof and any other bodies called by whatever name and style.

3. Definition

In these regulations unless the context otherwise requires :—

- (i) "Act" means National Council for Teacher Education Act, 1993 (No. 73 of 1993).
- (ii) "New course or training in teacher education" means any course or training in teacher education which was not being offered by the institution at the time of recognition but is proposed to be offered by the recognised institution.
- (iii) All other terms shall have the same meaning as contained in section 2 of the Act.

4. Application for Recognition

(a) Every institution offering/intending to offer a course or training in teacher education shall make an application for recognition under the Act in the Form given in Appendix-I to these Regulations.